

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

सं.प.9(27)कार्मिक/क-5/93

जयपुर, दिनांक:- 29-07-99

- 1-समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)
- 2-राज्य संचालित उपक्रम/निगम/बोर्ड व स्वायत्तशासी संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक/ सचिव।

परिपत्र

विषय:-राजस्थान सरकार के अधीन के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(70)कार्मिक/क-5/78 दिनांक 2.6.79 एवं समस्तसंख्यक परिपत्र दिनांक 18.7.94 के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती किये जाने समय नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूची के प्रत्याशियों के अतिरिक्त उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जावे जिन्होंने कि अपने प्रार्थना-पत्र (उक्त जाति का होने का प्रमाण पत्र सहित) सीधे ही नियोजन अधिकारियों को प्रस्तुत किये हैं तथा तीनों सूचियों के प्रत्याशियों में से योग्यता के आधार पर चयन करने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये थे।


उक्त संदर्भित परिपत्रों के अधिक्रमण में इन वर्गों हेतु आरक्षित पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

- 1- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों का समाज कल्याण/नियोजन कार्यालयों में पंजीकरण आवश्यक है।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, नियुक्तकर्ता अधिकारीगण एवं राज्य संचालित उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियुक्तकर्ता अधिकारीगण भविष्य में सीधे भर्ती द्वारा भर्त जानने वाले सभी आरक्षित पदों के रिक्त होने की सूचना, समाज कल्याण विभाग/ नियोजन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे, जिससे कि उक्त विभागों में सृजित प्रकोष्ठों में पंजीकृत प्रत्याशियों को भी नियोजन के सभी अवसरों का लाभ प्राप्त हो सके।
- 3- आरक्षित पदों पर भर्ती हेतु समाज कल्याण विभाग/ नियोजन विभाग के उक्त प्रकोष्ठ के प्रभारी से प्रत्याशियों की सूची मांगी जावे। इसके अतिरिक्त उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया जावे जिन्होंने कि अपने प्रार्थना पत्र (उक्त जाति का होने का प्रमाण पत्र तथा समाज कल्याण विभाग/ नियोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या सहित) सीधे नियुक्तकर्ता अधिकारियों को प्रस्तुत किये हैं अर्थात् तीनों सूचियों,

नियोजन कार्यालय, समाज कल्याण विभाग एवं नौधो हो पान पार्थना पत्रों से चयन योग्यता के आधार पर किया जावे।


- 4- उक्त प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले पदों, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर भरे जाने वाले पदों तथा पदोन्नति में भरे जाने वाले पदों पर लागू नहीं होगी।

अतः कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियोजन अधिकारियों को भी उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशन करने का कष्ट करें।


(सुधीर भार्गव)
शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
- 2- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, समस्त मंत्री/ राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5- समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, लोकसूक्त सचिवालय, जयपुर।
- 2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निवन्धक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
- 5- निवन्धक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
- 6- गैजल फ़ाइलें।


शासन उप सचिव